संख्या– /XXXVI(2)/24/11(बजट)/2021

प्रेषक,

प्रदीप पन्त,
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड,
नैनीताल।

न्याय अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक जनवरी, 2025

विषयः वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक में जिला तथा सेशन न्यायाधीश के न्यायालयों, दण्ड न्यायालयों एवं पारिवारिक न्यायालयों हेतु प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष मानक मद–68–इन्शोरेन्स पॉलिसी/प्रीमियम की धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 5375/9/VI/Budget/2024–25, दिनांक 26.09.2024 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–04 के अन्तर्गत मा0 उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों–जिला तथा सेशन न्यायाधीश के न्यायालयों, दण्ड न्यायालयों एवं पारिवारिक न्यायालयों हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निम्नवत् तालिका में उल्लिखित विवरणानुसार **कुल रू0 2,35,000/– (रूपये दो लाख पैंतीस हजार मात्र)** की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(धनराशि रू0 में)

क्र.सं.	लेखाशीर्षक	मानक मद	स्वीकृत की जा रही धनराशि
1.	2014–न्याय प्रशासन–105–सिविल और सेशन्स न्यायालय–03–जिला तथा सेशन न्यायाधीश	68–इंश्युरेंस पॉलिसी एवं प्रीमियम	1,00,000
2	2014–न्याय प्रशासन–108–दण्ड न्यायालय–03–नियमित अधिष्ठान	68–इंश्युरेंस पॉलिसी एवं प्रीमियम	1,00,000
3	2014–न्याय प्रशासन–117–पारिवारिक न्यायालय–04–पारिवारिक 04–न्यायालय अधिष्ठान	68–इंश्युरेंस पॉलिसी एवं प्रीमियम	35,000
योग–			**2,35,000**

2– उपरोक्त धनराशि की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जा रही है :–

1. वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गमन विषयक शासनादेश संख्याः 201358/09(150)2019/XXVII(1)/2024, दिनांक 22.03.2024

में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय सुसंगत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
3. स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यावर्तन अन्य मदों में न किया जाय।
5. व्यय करते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियामवली, 2017, वित्तीय नियम संग्रह, वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम, आय–व्यय सम्बन्धी नियम, बजट मैनुअल व सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
6. धनराशि जिन मदों हेतु स्वीकृत की गई है, उसी मद में व्यय की जाय। एक मद की राशि दूसरी मद में किसी भी दशा में व्यय न की जाय।
7. आवंटित धनराशि का उपभोग 31 मार्च, 2025 तक कर लिया जाय। अवशेष धनराशि समयान्तर्गत शासन को समर्पित कर दी जाय।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–04, लेखाशीर्षक 2014–न्याय प्रशासन–105–सिविल और सेशन्स न्यायालय–03–जिला तथा सेशन न्यायाधीश, लेखाशीर्षक 2014–न्याय प्रशासन–105–सिविल और सेशन्स न्यायालय–06–रेलवे मजिस्ट्रेट का न्यायालय, लेखाशीर्षक 2014–न्याय प्रशासन–108–दण्ड न्यायालय–03–नियमित अधिष्ठान एवं लेखाशीर्षक 2014–न्याय प्रशासन–117–पारिवारिक न्यायालय–04–पारिवारिक न्यायालय अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–266460/2024, दिनांक 07 जनवरी, 2025 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

5– उक्त धनराशि की स्वीकृति संलग्न एलॉटमेन्ट आई0डी0 के अधीन निर्गत की जा रही है।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

Signed by
Pradeep Pant
Date: 10-01-2025 12:47:54

(प्रदीप पन्त)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक–तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. समस्त जिला न्यायाधीश, उत्तराखण्ड।

3. समस्त न्यायाधीश, कुटम्ब न्यायालय, उत्तराखण्ड।
4. समस्त न्यायाधीश, दण्ड न्यायालय, उत्तराखण्ड।
5. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड़ शासन।
7. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

Signed by
Sudhir Kumar Singh
Date: 10-01-2025 13:01:19(सुधीर कुमार सिंह)
अपर सचिव।